न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेड़ा जिला चित्तौडगढ़
पीठसीन अधिकारीः– पंकज शर्मा, RAS

प्रकरण सं. 05/2019 प्रार्थना पत्र

श्रीमती नन्दु बाई उर्फ नन्दुड़ी बेवा तुलसीराम भील, आयु वयस्क, निवासी करथाना, तहसील निम्बाहेड़ा।

– प्रार्थीया

//बनाम//

राज्य सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार, निम्बाहेड़ा, जिला चित्तोडगढ़।

– विपक्षी

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 रा. भू राज.अधि.

श्री रामचन्द्र धाकड़, अधिवक्ता प्रार्थीया, उपस्थित

निर्णय दिनांक 17.02.2020

संक्षिप्त विवरण मामला इस प्रकार है कि प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया की मुझ प्रार्थीया के संयुक्त खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजीयात वाके मौजा करथाना की खाता संख्या 91 की आराजी नं. 19, 66, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 291 कुल किता 10 कुल रकबा 5.1100 हेक्टेयर भूमि स्थित है। उक्त वर्णित आराजीयात में प्रार्थीया का नाम जरिये इन्तकाल संख्या 613 दिनांक 01.01.2019 को संवत 2057–60 में खाता संख्या 92 में दर्ज हुआ। प्रार्थीया का नाम नन्दुडी बेवा तुलसीराम सही अंकित किया गया । गत सेटलमेन्ट में नया राजस्व रेकार्ड तैयार किया गया तब सहवन से हंगामी बेवा तुलसीराम अंकित कर दिया गया जो गलत है। राजस्व रेकार्ड में उक्त अशुद्धि की जानकारी पूर्व में प्रार्थीया को नहीं थी। जानकारी होते ही यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है। अतः प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर राजस्व रेकार्ड में हंगामी बेवा तुलसीराम के बजाय नन्दु बाई उर्फ नन्दुडी पत्नी तुलसीराम भील निवासी करथाना दर्ज करवाया जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को जरिये नोटिस तलब किया गया। विपक्षी तहसीलदार निम्बाहेड़ा ने अपने पत्रांक/राजस्व/2019/598, दिनांक 30.07.2019 के माध्यम से जवाब प्रस्तुत करते हुए प्रार्थीया के कथनों को सही माना है तथा राजस्व रेकार्ड में संशोधन किये जाने में कोई आपत्ति नहीं होना बताया है।

बहस सुनी गई। मिसल का अवलोकन करते हुए पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन किया गया। प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत नकल जमाबन्दी संवत 2071–74 ग्राम करथाना की खाता संख्या 91 में प्रार्थीया का नाम हंगीमम पत्नी स्व. तुलसीराम पिता रूपा भील तथा

खाता संख्या 90 में मु. नन्दुडी पत्नी तुलसीराम पिता रूपा भील 1/3 दर्ज रेकार्ड है। इसी प्रकार नकल जमाबन्दी संवत 2057-60 ग्राम करथाना की खाता संख्या 92 व 82 तथा मिलान क्षेत्रफल प्रस्तुत किया है जिसमें जरिये नामान्तरकरण संख्या 613 दिनांक 01.01.2002 से प्रार्थीया का नाम जरिये विरासत खाते में दर्ज होना अंकित है। इस प्रकार राजस्व रेकार्ड के अवलोकन से स्पष्ट है कि पूर्व में इन्तकाल संख्या 613 से प्रार्थीया का नाम राजस्व रेकार्ड में सही अंकित किया गया था परन्तु सेटलमेण्ट के दौरान सहवन से खाता संख्या 91 की आराजीयात में गलत नाम अंकित हो गया है। तहसीलदार निम्बाहेड़ा ने भी उक्त त्रुटी को स्वीकार करते हुए राजस्व रेकार्ड में संशोधन किया जाना उचित बताया है। प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। ग्राम करथाना की खाता संख्या 91 में प्रार्थीया का नाम हंगामी पत्नी तुलसीराम पिता रूपा भील के स्थान पर नन्दु बाई उर्फ नन्दुडी पत्नी स्व. तुलसीराम पिता रूपा भील दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है। उपर्युक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जावे। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

आज दिनांक 17.02.2020 को सरे इजलास सुनाया जाकर कम्प्युटराईज कराया गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(पंकज शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेड़ा

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Sharma
Date: 2020.07.03 18:09:33 IST
Reason: SelfAttested
Location: